

## इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

172

५६

पत्रांक : 66 / प्र० ३०—भवन / जौन—४ / शमन / २०१०—११ दिनांक २२ / ०७ / २०१४

विनियमितीकरण / अनुमति - एक्स

यह विनियमितीकरण उ०प्र० ३० नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम १९७३ की धारा ३२ के अन्तर्गत विनियमितीकरण तथा धारा १४/१५ के अन्तर्गत प्रस्तावित निर्माण की अनुमति दी जा रही है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर महाविद्यालय भवन के विनियमितीकरण एवं प्रस्तावित निर्माण विनियमित किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिलिक्यत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

अध्यक्ष भेसर्स हिन्दुस्तान सेवा संस्थान, बसन्त लाल सिंह/अध्यक्ष बृजराज सिंह गर्ल्स डिग्री कालेज नैनी इलाहाबाद के द्वारा आराजी संख्या—३०६ मौजा—नैनी, तालुका नैनी ददरी परगना अरैल, तहसील—करछना, जिला इलाहाबाद जोन संख्या (४) के अन्तर्गत दाखिल विनियमितीकरण/प्रस्तावित मानचित्र की स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदय के अनुमोदनादेश दिनांक १४—०७—२०१४ के द्वारा निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :—

१. उ०प्र० ३० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम १९७३ की धारा १५ए (१) के प्राविधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग/अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि २००८ में उपविधि संख्या—२.१.८ एवं ३.१.८ में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण—पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
२. यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्त पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण—पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
३. स्थल पर ४X३ फिट का एक बोर्ड लगाकर प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र सम्बन्धी विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा, जिसमें आर्किटेक्ट/इंजीनियर के फर्म का नाम भी अंकित हो।
४. स्थल पर १३ अद्व वृक्ष लगाने होंगे तथा वृक्षों को हरा—भरा रखने का दायित्व आवेदक का होगा।
५. स्थल पर रेनवाटर हार्डस्टिंग प्रणाली मानक के अनुसार पूर्ण कराकर भू—गर्भ जल बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा, तत्पश्चात् ही पूर्णता प्रमाण—पत्र निर्गत किया जायेगा।
६. स्थल पर सोलर वाटर हीटिंग संयत्र की स्थापना आवश्यक रूप से करनी होगी।
७. सोसायटी द्वारा महिला महाविद्यालय में विधवा निराश्रित, बालिकाओं एवं असहाय, अपाहिज व्यक्तियों को निःशुल्क प्रवेश शिक्षण कार्य पुस्तकालय, वाचनालय इत्यादि की सुविधा सदैव उपलब्ध करायी जायेगी, अन्यथा प्राधिकरण द्वारा मानचित्र की स्वीकृति में दिये गये छूट वापस लेते हुए गणना पुनरीक्षित की जायेगी। तदनुसार अन्तर धनराशि आपको जमा करनी होगी। उक्त के क्रम में दिये गये शापथ पत्र दिनांक २७.०५.२०१४ में अंकित प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन बाध्यकारी होगा।
८. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी इलाहाबाद की अनापत्ति पत्र संख्या—एफ.पी./सी.एफ.ओ./आई—३/२०१४ दिनांक ०५ अप्रैल, २०१४ (छायाप्रति संलग्न) में अंकित प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन करना होगा तथा पूर्णता प्रमाण—पत्र प्राप्त करने के पूर्व अनन्तिम अनापत्ति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
९. मानचित्र में दर्शित अशमनीय भाग को स्ट्रक्चरल इंजीनियर की देख—रेख में ध्वस्त कराना होगा, जिससे भवन की स्ट्रक्चरल सेफटी प्रभावित न हो तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि किसी भी प्रकार की जन—धन की हानि न होने पाये।

Continued

२२/०७/२०१४  
२२/०७/२०१४

10. माननीय न्यायालय में कोई बाद होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी। यह स्वीकृति भू-स्वामित्व का अधिकार प्रदान नहीं करती है। भू-स्वामित्व सम्बन्धी कोई भी विवाद सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी द्वारा ही निस्तारित किया जा सकता है।
11. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
12. मकान निर्माण से यदि नाली के सङ्क की पटरी अथवा सङ्क या नाली के किसी भाग (जो मकान के आग्र भाग, पृष्ठ भाग अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने खर्च से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।
13. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
14. आवेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।
15. यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

संलग्नक : उपर्युक्तानुसार।

(पुष्कर श्रीवास्तव)  
विशेष कार्याधिकारी/प्र0अ0(त0स0-2)  
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,  
इलाहाबाद।

१९८२

